अनुदान संख्या 29 – आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 29 - DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4302,79,00		4437,31,00	3477,30,64	-960,00,36
पूरक	Supplementary	134,52,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					498,24,41
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	11153,05,00		11253,11,00	6012,91,52	-5240,19,48
पूरक	Supplementary	100,06,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4613,12,27

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹96000.36 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹13452.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹96000.36 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹13452.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017, and March, 2018 and constituted 22 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	22438.00			
पू.	S.	1.00	20773.80	19581.28	-1192.52
पु.	R.	-1665.20			
मुख्य शीर्ष "2047"	Major Head "2047"				
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services				
मू.	O.	1634.00			
पू.	S.	1.00	1506.33	980.63	-525.70
पु.	R.	-128.67			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	1947.00			
			1524.64	1072.14	-452.50
पु.	R.	-422.36			
मुख्य शीर्ष "2075"	Major Head "2075"				
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services				
मू.	O.	60002.00			
पू.	S.	2.00	80005.00	60468.63	-19536.37
पु.	R.	20001.00			
मुख्य शीर्ष "2416"	Major Head "2416"				
कृषि वित्तीय संस्थाएं	Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	8400.00			
			7737.90	7737.90	..
पु.	R.	-662.10			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3465"	Major Head "3465"				
सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाएं	General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	120000.00			
पू.	S.	1.00	51312.21	34238.41	-17073.80
पु.	R.	-68688.79			
मुख्य शीर्ष "3466"	Major Head "3466"				
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	International Financial Institutions				
मू.	O.	69673.00			
पू.	S.	6800.00	66076.46	66004.04	-72.42
पु.	R.	-10396.54			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	70756.00			
पू.	S.	201.00	84105.25	83557.18	-548.07
पु.	R.	13148.25			
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"				
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	75426.00			
पू.	S.	2.00	74419.00	67647.43	-6771.57
पु.	R.	-1009.00			

(I) ₹22864.50 लाख का प्रावधान (₹200.50 लाख के पूरक अनुदान सहित) पन्द्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹22700.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) मुख्य शीर्ष "3465" — "सामान्य वित्तीय संस्थाएं — सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता — एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति" — ₹20000.00 लाख — एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधानों को मुख्य शीर्ष "2075" को अंतरित किए जाने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" —

(क) "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता — भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)" — ₹200.00 लाख — आईआईपीडीएफ के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग — अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग" — ₹1500.00 लाख — अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा निधियां जारी किए जाने के लिए निबंधन और शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "3605" — "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक — ब्रिक्स संबंधी कार्यकलापों के आयोजन के लिए खर्च" — ₹1000.00 लाख — ब्रिक्स संबंधी खर्चों/कार्यकलापों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" — "सचिवालय" — बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

(का) "आर्थिक कार्य विभाग" — ₹2064.39 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹21097.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम आउटसोर्स स्टॉफ को भाड़े पर लिए जाने, विदेश मंत्रालय से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मामलों के कम दावे प्राप्त होने, विज्ञापन तथा प्रचार, प्रकाशन, वेतन बकायों, स्वदेशी यात्रा खर्चों तथा

(I) Provision of ₹22864.50 lakhs (including supplementary grant of ₹200.50 lakhs) remained wholly unutilized under fifteen heads; of these ₹22700.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "3465" - "General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions - Re-imbursement of MDR Charges" - ₹20000.00 lakhs - due to shifting of provision to Major Head "2075" for reimbursement of MDR charges.

(B) Major Head "3475" -

(a) "Financial Support for Infrastructure Development - India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF)" - ₹200.00 lakhs - due to non-receipt of demand for IIPDF.

(b) "International Co-operation - Technical Co-operation with African Development Bank" - ₹1500.00 lakhs - due to non-fulfilment of terms and conditions for release of funds by African Development Bank.

(C) Major Head "3605" - "International Conference/Meeting - Expenses for Organizing BRICS related Activities" - ₹1000.00 lakhs - due to requirement of less funds towards BRICS related expenses/activities.

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Department of Economic Affairs" - saving of ₹2064.39 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹21097.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to hiring of less outsourced staff, receipt of less claims of International court cases from Ministry of External

परामर्शदाताओं के कार्यभार ग्रहण न करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "जी–20 सचिवालय" – ₹120.42 लाख की बचत (₹420.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों के कम विदेशी दौरे तथा कार्यालय खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(गा) "ऋण प्रबंधन कार्यालय" – ₹547.95 लाख की बचत (₹594.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यावसायिक सेवाओं तथा कार्यालय खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2047" – "लघु बचतों का संवर्द्धन – राष्ट्रीय बचत संस्थान" – ₹639.95 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकितक पूरक अनुदान सहित ₹1592.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, एजेंसी पोर्टल के विकास कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कम विकास कार्यकलापों के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "निदेशन और प्रशासन – सुरक्षा अपीलीय अधिकरण" – ₹404.18 लाख की बचत (₹947.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्यालय परिसर के किराए के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण तथा चिकित्सा खर्चों के लिए कम दावे प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने और अतिरिक्त कार्यालय स्थल को भाड़े पर लिए जाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "विशेष जांच आयोग – पन्द्रहवां वित्त आयोग" – ₹470.68 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पन्द्रहवें वित्त आयोग के गठन में विलंब होने के कारण हुई।

Affairs, requirement of less funds towards advertisement and publicity, publication, salary arrears, domestic travel expenses and non-joining of consultants.

(B) "G-20 Secretariat" - saving of ₹120.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹420.00 lakhs) was due to less foreign visits of officials and requirement of less funds towards office expenses.

(C) "Debt Management Office" - saving of ₹547.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹594.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards professional services and office expenses.

(III) Under Major Head "2047" - "Promotion of Small Savings - National Savings Institute" - saving of ₹639.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1592.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of development of agency portal and less development activities.

(IV) Under Major Head "2070" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Security Appellate Tribunal" - saving of ₹404.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹947.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards rent of office premises, receipt of less claims towards leave travel concession, leave encashment and medical expenses, less tours undertaken and non-finalisation of the proposed hiring of additional office space.

(B) "Special Commission of Enquiry - Fifteenth Finance Commission" - saving of ₹470.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to delay in setting up of Fifteenth Finance Commission.

(V) मुख्य शीर्ष "2416" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को अंशदान" – के अंतर्गत ₹662.10 लाख की बचत (₹8400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर परिवर्तनों के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2416" - "International Cooperation - Contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD)"- saving of ₹662.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8400.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(VI) मुख्य शीर्ष "3465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाएं – आरक्षित निधि को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि को अंतरण" – ₹67852.88 लाख की बचत (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि के कार्यकलापों में कमी आने तथा निवेशकों के साथ वार्ताओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3465" - "General Financial Institutions - Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Investment and Infrastructure Fund(NIIF)" - saving of ₹67852.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to decrease in activities of National Investment and Infrastructure Fund and non-finalisation of negotiations with investors.

(VII) मुख्य शीर्ष "3466" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VII) Under Major Head "3466" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि – दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता केंद्र को सहायता" – ₹877.79 लाख की बचत (₹12460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(A) "International Monetary Fund - Contribution to South Asia Regional Training and Technical Assistance Center (SARTTAC)" - saving of ₹877.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12460.00 lakhs);

(खा) "विश्व बैंक – अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान" – ₹9166.70 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(B) "World Bank - Contribution to International Development Association (IDA)" - saving of ₹9166.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs);

(गा) "एशियाई विकास निधि – एशियाई विकास निधि को अंशदान – 12" – ₹349.85 लाख की बचत (₹6800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(C) "Asian Development Fund - Contribution to Asian Development Fund - 12" - saving of ₹349.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6800.00 lakhs);

(VIII) मुख्य शीर्ष "3475" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VIII) Under Major Head "3475" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" –

(A) "International Co-operation" -

(क) "राष्ट्रमंडल तकनीकी सहयोग निधि को अंशदान" – ₹175.88 लाख की बचत (₹1020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(a) "Contribution to Common-Wealth Fund for Technical Co-operation"- saving of ₹175.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1020.00 lakhs); and

(ख) "एड्स, टीबी तथा मलेरिया वैश्विक निधि को अंशदान" – ₹146.47 लाख की बचत (₹4020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें, उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत विनिमय दर परिवर्तनों के कारण हुईं।

(खा) "बाजारों का विनियमन – वादा बाजार आयोग" – ₹123.56 लाख की बचत (₹180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वादा बाजार आयोग प्रकोष्ठ के कुछ कर्मचारियों की पुनः तैनाती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "अन्य व्यय" –

(क) "भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण" – ₹1181.92 लाख की बचत (₹2260.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित के जाने तथा विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "सहायता अनुदान" – ₹279.60 लाख की बचत (₹577.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पात्र अनुसंधान संगठनों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) "भारतीय दूतावास, बीजिंग का आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंध" – ₹132.04 लाख की बचत (₹552.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष "3605" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "अन्य देशों के साथ सहयोग – भारतीय कंपनियों को ब्याज समकरण सहायता" – ₹3892.77 लाख की बचत (₹4816.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रति

(b) "Contribution to Global Fund for AIDS, TB and Malaria(GFATM)" - saving of ₹146.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4020.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to exchange rate variation.

(B) "Regulation of Markets - Forward Market Commission (FMC)" - saving of ₹123.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹180.00 lakhs) was due to redeployment of some officials of Forward Markets Commission Cell.

(C) "Other Expenditure" -

(a) "Training of Indian Economic Service Officers" - saving of ₹1181.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2260.00 lakhs) was due to conduction of less training programmes and non-finalisation of proposal for higher studies abroad.

(b) "Grants-in-aid" - saving of ₹279.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹577.30 lakhs) was due to non-receipt of viable proposal from eligible research organizations.

(c) "Economic and Commercial Wing of Embassy of India, Beijing" - saving of ₹132.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹552.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(IX) Under Major Head "3605" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Co-operation with Other countries - Interest Equalisation support for Indian Companies" - saving of ₹3892.77 lakhs (against the sanctioned

गारंटी विलेख जारी करने में विलंब के कारण एक्सिम बैंक से दावों की देरी से प्राप्ति होने के कारण हुई।

provision of ₹4816.00 lakhs) was due to late receipt of claims from EXIM Bank owing to delay in issue of deed of counter guarantee.

(खा) "वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि को अंशदान – वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए अंशदान" – ₹158.48 लाख की बचत (₹2092.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर परिवर्तन के कारण हुई।

(B) "Contribution to Global Environment Trust Fund - Contribution for Global Environment Facility" - saving of ₹158.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2092.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(गा) "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक – अफ्रीका विकास बैंक की वार्षिक बैठक के आयोजन पर व्यय" – ₹3500.00 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वार्षिक बैठक के लिए निधियों की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

(C) "International Conference/Meeting - Expenditure towards organising Annual Meeting of African Development Bank" - saving of ₹3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to non-requirement of funds towards Annual meeting.

(X) दो शीर्ष के अंतर्गत ₹155.62 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और दोनों, स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत थीं।

(X) Under two heads savings of ₹155.62 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and both constituting 33 percentof the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹39528.97 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹39528.97 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹5.00 lakhs under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "2075" – "अन्य व्यय – डेबिट कार्डों के माध्यम से राशि प्राप्ति पर लागत" – ₹20000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹464.35 लाख था।

(A) Major Head "2075" - Other Expenditure - Cost incurred on collection of money through Debit cards" - ₹20000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹464.35 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाएं – सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता – राष्ट्रीय निवेश तथा अवसंरचना निधि लिमिटेड" – ₹2090.29 लाख।

(B) Major Head "3465" - "General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions - National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIF)" - ₹2090.29 lakhs.

(का) मुख्य शीर्ष "3475" –

(C) Major Head "3475" -

(क) "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण

(a) "Financial Support for Infrastructure Development - Assistance for Infrastructure

के लिए सहायता" – ₹5058.75 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5057.50 लाख था।

(ख) "स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम, 2015 के लिए कमीशन – कमीशन की अदायगी" – ₹4228.83 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4308.32 लाख था।

(ग) "आरक्षित निधि को अंतरण – स्वर्ण आरक्षित निधि" – ₹5831.75 लाख।

(घ) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – वैश्विक टीकाकरण तथा प्रतिरक्षण संगठन को अंशदान" – ₹1338.75 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1297.46 लाख था।

(घा) मुख्य शीर्ष "3605" –

(क) "संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान – संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रेजीडेंट प्रतिनिधि का व्यय" – ₹180.60 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹179.92 लाख था।

(ख) "अन्य व्यय – भारत–जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग" – ₹800.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹779.92 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹524019.48 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹10006.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं तथा यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Development Viability Gap Funding" - ₹5058.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹5057.50 lakhs.

(b) "Commission for Gold Monetization Scheme 2015 - Commission Payment" - ₹4228.83 lakhs. Actual excess, however, was ₹4308.32 lakhs.

(c) "Transfer to Reserve fund - Gold Reserve Fund" - ₹5831.75 lakhs.

(d) "International Cooperation - Contribution to Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI)" - ₹1338.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹1297.46 lakhs.

(D) Major Head "3605" -

(a) "Contributions to United Nations Development Programme - Expenses of Resident Representative of United Nations Development Programme" - ₹180.60 lakhs. Actual excess, however, was ₹179.92 lakhs.

(b) "Other Expenditure - Indo-German Bilateral Development Co-operation" - ₹800.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹779.92 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹524019.48 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹10006.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 47 percent of the sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4046"	Major Head "4046"				
मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint				
मू.	O.	250000.00			
पू.	S.	10000.00	213300.00	157202.29	-56097.71
पु.	R.	-46700.00			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	4000.00			
			600.00	394.19	-205.81
पु.	R.	-3400.00			
मुख्य शीर्ष "5466"	Major Head "5466"				
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investment in International Financial Institutions				
मू.	O.	436005.00			
पू.	S.	2.00	422002.40	420488.41	-1513.99
पु.	R.	-14004.60			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	310200.00			
			5632.28	5632.27	-0.01
पु.	R.	-304567.72			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "7475"	Major Head "7475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	Loans for Other General Economic Services				
मू.	O.	100000.00	728.51	728.50	-0.01
पु.	R.	-99271.49			
मुख्य शीर्ष "7605"	Major Head "7605"				
विदेशी सरकारों को अग्रिम	Advances to Foreign Governments				
पू.	S.	1.00	6700.00	6591.94	-108.06
पु.	R.	6699.00			
मुख्य शीर्ष "7610"	Major Head "7610"				
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि।	Loans to Government Servants etc.				
मू.	O.	15000.00	15001.00	10219.38	-4781.62
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-1.00			

(I) ₹300306.50 लाख का प्रावधान (₹0.50 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹300200.00 लाख मुख्य शीर्ष "5475" – "अन्य व्यय" – के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹300306.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹300200.00 lakhs accounted for under Major Head "5475" - "Other Expenditure" - under the following heads:-

(का) "भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि" – ₹200.00 लाख – स्कीम के पूंजीगत भाग से राजस्व भाग में अंतरित किए जाने के कारण।

(A) "India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF)" - ₹200.00 lakhs - due to shifting of scheme from Capital Section to Revenue section.

(खा) "नई स्कीमें" – ₹300000.00 लाख – नई स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(B) "New Schemes" - ₹300000.00 lakhs - due to non-finalisation of new schemes.

(II) मुख्य शीर्ष "4046" – "एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद – सिक्के" – ₹250000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹10000.00 लाख का पूरक अनुदान प्रदान करके बढ़ाकर ₹260000.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹102797.71 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – सिक्कों के मांगपत्र में कमी किए जाने तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्कों की कम लिफ्टिंग किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4046" - "Purchase of Coins from SPMCIL - Coins" - the original provision of ₹250000.00 lakhs was augmented to ₹260000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹102797.71 lakhs (including supplementary grant) - due to downward revision of indent of coins and lesser lifting of coins by Reserve Bank of India.

(III) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – आईईएस अधिकारियों के लिए 90 रिहायशी यूनिटों का निर्माण" – ₹3605.81 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 90 रिहायशी यूनिटों के निर्माण को मूर्त रूप न दिए जाने और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में देरी के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Construction of 90 dwelling units for IES officers" - saving of ₹3605.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-materialization of construction of 90 dwelling units and late signing of MoU with NBCC (India) Ltd.

(IV) मुख्य शीर्ष "5466" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

(IV) Under Major Head "5466" - savings occurred under the following heads:-

(का) "एशियाई विकास बैंक में निवेश – एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक को अंशदान" – ₹8426.07 लाख की बचत (₹224249.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "Investment in the Asian Development Bank - Subscription to Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)" - saving of ₹8426.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹224249.00 lakhs); and

(खा) "विश्व बैंक – ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) न्यू विकास बैंक (एनडीबी) को अंशदान" – ₹16610.40 लाख की बचत (₹210000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) "World Bank - Subscription to Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) New Development Bank (NDB)" - saving of ₹16610.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹210000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विनिमय दर परिवर्तनों के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to exchange rate variations.

(V) मुख्य शीर्ष "5475" – "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के लिए सहायता" – के अंतर्गत ₹4367.73 लाख

(V) Under Major Head "5475" - "Financial Support for Infrastructure Development - Assistance for Infrastructure Development Viability Gap

की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

Funding" - saving of ₹4367.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(VI) मुख्य शीर्ष "7475" – "अन्य कर्ज – उधार की नई व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कर्ज" – के अंतर्गत ₹99271.50 लाख की बचत (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "7475" - "Other Loans - Loans to IMF under New Arrangements to Borrow(NAB)" - saving of ₹99271.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Reserve Bank of India for providing loans to International Monetary Fund.

(VII) मुख्य शीर्ष "7610" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईः–

(VII) Under Major Head "7610" - savings occurred under the following heads:-

(का) "मकान निर्माण अग्रिम – मंत्रालय तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" – ₹3966.07 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मकान निर्माण अग्रिम दिए जाने के लिए नियमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "House Building Advances - Ministries and Union Territory Administrations" - saving of ₹3966.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to non-finalisation of norms for grant of HBA.

(खा) "कंप्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिम – कंप्यूटरों तथा अन्य बाह्य उपकरणों की खरीद के लिए अग्रिम" – ₹819.87 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकतिक पूरक अनुदान सहित ₹7501.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अग्रिम के लिए कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Advances for purchase of Computers - Advances for purchase of Computers and other peripherals" - saving of ₹819.87 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7501.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to receipt of less demand for the advance.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹16305.37 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

4. The above savings were partly (₹16305.37 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹3.00 lakhs - under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "5466" – "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान (भारत के कोटा में वृद्धि के सापेक्ष एसडीआर खरीद)" – ₹9606.37 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹9576.80 लाख था।

(I) Major Head "5466" - "International Monetary Fund - Subscription to International Monetary Fund (SDR purchase against India's quota increase)" - ₹9606.37 lakhs. Actual excess, however, was ₹9576.80 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "7605" – "अफ्रीकी विकास बैंक/निधि को कर्ज – अफ्रीकी विकास बैंक को ब्रिज लोन" –

(II) Major Head "7605" - "Loans to African Develoment Bank/Fund - Bridge loan to African

₹6699.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6590.94 लाख था।

Development bank (AfDB)" - ₹6699.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6590.94 lakhs.

5. *निर्भया निधिः–*

'निर्भया निधि' की स्थापना 2013–14 के दौरान उन स्थायी उपायों/बचावों के वित्त पोषण के लिए की गई थी जिससे महिलाओं के बचाव और सुरक्षा में व्यापक वृद्धि होती है और जो काफी लंबे समय तक बने रहते हैं और प्रभावी होते हैं। इस निधि का उद्देश्य विभिन्न सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गए विभिन्न उपायों को वित्तपोषित करना है ताकि उनका बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निधियां बजट प्रावधान के अनुसार भारत की समेकित निधि से राजस्व व्यय को स्थानांतरित की जाएंगी। 'निर्भया निधि को अंतरण' के लिए बजटीय प्रावधान उन संबंधित अनुदान की मांगों जिनमें व्यय आबंटन किया गया है से किया जाएगा।

2017–18 के लिए निधि के लेखे इस प्रकार थेः–

5. ***Nirbhaya Fund: -***

The 'Nirbhaya Fund' was established during 2013-14 to be used to fund those enduring measures/interventions which substantially enhance the safety and security of women and are sustainable and effective over a long period of time. The purpose of the fund is to finance various initiatives taken by different Ministries/Departments of the government towards empowering girl children and women ensuring their safety and security. Funds will be transferred as per budget provisions from the Revenue Expenditure head from the consolidated Fund of India. The budgetary allocations for 'transfer of the Nirbhaya Fund' will be made from the respective Demands for Grants where expenditure allocations are made.

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2272,50,59
प्राप्तियां	Receipt	550,00,00
अदायगियां	Payments	248,22,83
अंतशेष	Closing Balance	2574,27,76

6. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधिः–

'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' की स्थापना स्वच्छ ऊर्जा आदि में अनुसंधान से संबंधित विभिन्न नई परियोजनों को वित्त पोषण करने के लिए की गई थी। 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में उत्पादित कोयले पर ऊर्जा उपकर नाम की लेवी लगाने का प्रस्ताव किया गया। इसे दिनांक 22.06.2010 को गजट अधिसूचना संख्या 06–2010–स्वच्छ ऊर्जा उपकर में अधिसूचित किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा उपकर की इस प्रस्तावित लेवी को कर राजस्व के रूप में वसूल किया जाना है और इस प्रकार सृजित हुई

6. ***National Clean Energy Fund: -***

The 'National Clean Energy Fund' was established to finance various new projects relating to researches in Clean Energy etc. In order to meet the objectives of 'National Clean Energy Fund' a levy called clean Energy Cess on coal produced in India was proposed. This was notified in Gazette Notification No. 06-2010 - Clean Energy Cessdt. 22.06.2010. The proposed levy of Clean Energy Cess is to be collected in the form of Tax Revenue and the

निधियों को आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाएगा। चिन्हित स्कीमों/नई परियोजनाओं पर व्यय का प्रावधान कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान की मांग में किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूलियां भी उसी कार्यात्मक व्यय शीर्ष के अंतर्गत की जाएगी ताकि स्कीमों पर व्यय और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूली का मिलान हो जाए।

funds so generated will be transferred to Reserve Fund. The provision for expenditure on identified schemes/new projects will be made in Demand for Grants of different Ministries/Departments under the functional Major Heads, The recoveries from the National Clean Energy Fund will also be made under the same functional expenditure head so the expenditure on the schemes and recovery from National Clean Energy Fund get matched.

2017–18 के लिए निधि के लेखे इस प्रकार थे:– (हजार रुपयों में)

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	48,22,82
प्राप्तियां	Receipts	5442,77,08
अदायगियां	Payments	5490,99,89
अंतशेष	Closing Balance	1

7. गारंटी मोचन निधि :–

7. Guarantee Redemption Fund: -

इस निधि की स्थापना संघ सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं आदि को दी गई गारंटी, जब भी ऐसी गारंटी मांगी जाती है, के मोचन के लिए की गई थी। इस निधि को वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाने वार्षिक आबंटन द्वारा धन मुहैया कराया जाता है। जब गारंटी मांगी जाती है इस प्रकार के व्यय को संबंधित अनुदान के संबंधित कर्ज शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाए और निधि से वसूली को भी कर्ज शीर्ष के अंतर्गत ऋण प्रविष्टियों के रूप में लेखाबद्ध की जाएगी।

The fund was constituted for redemption of Guarantees given by the Union Government to Central Public Sector Undertakings, Financial Institutions etc., whenever such guarantees are invoked. The fund is fed by annual allocation to be made by Ministry of Finance. When the Guarantees are invoked, such expenditure may be shown under the concerned loan head of respective grant and recovery from the fund will also be accounted for under the loan head as deduct entry.

2017–18 के लिए निधि के लेखे इस प्रकार थे:–

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	3429,96,00
प्राप्तियां	Receipts	600,00,00
अदायगियां	Payments	शून्य Nil
अंतशेष	Closing Balance	4029,96,00